तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.11.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा बहस की गयी। हमने विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस को ध्यान पूर्वक सुना। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी

मुकदमा सं. 12/दावा/12 पीठासीन अधिकारी – गरिमा लाय R.A.S.

दायरा दिनांक 23.2.12

उनवान

1. हरजीलाल S/o नारायण सिंह जाति राजपूत नि ग्राम बालापुरा मृतक जरिये कायम मुकाम.

1/1. राजेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष ⎤ पुत्र स्व. श्री हरजीलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम
1/2 विक्रम सिंह उम्र 28 वर्ष ⎦ बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़

1/3 सरोज बाई उम्र 20 वर्ष ⎤
1/4 रीनू बाई उम्र 22 वर्ष ⎥ पुत्री स्व. श्री हरजीलाल जाति राजपूत निवासीगण
1/5 गणेशा बाई उम्र 18 वर्ष ⎥ ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़
1/6 सिंटू बाई उम्र 16 वर्ष ⎦

नाबालिग जरिये संरक्षक माता गीता बाई

1/7 गीताबाई – आयु 50 वर्ष बेवा श्री हरजीलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

– वादीगण

बनाम

1. सेविल जोन पुत्र श्री इमानुवल जोन जाति ईसाई निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. जोन पुत्र श्री विलियम जाति ईसाई निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. इमानुवल जोन पुत्र श्री जोन जुरियन जोन जाति ईसाई निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
4. सन्धी ⎤ पिसरान सेविल जोन जातियान ईसाई निवासीगण बॉटम लेवल लाखेरी
5. बन्टी ⎦ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

– प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 23.11.17

वादीगण द्वारा वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है – ग्राम बालापुरा पटवार हल्का सरवावदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में खसरा सं. 281 रकबा 2.31 है. स्थित है। यह भूमि वादीगण व व स्वर्गाई

क्रमशः –

प्रभुलाल के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 281 रकबा 2.31 है. विस्थित है। वादीगण का भाई प्रभुलाल जिसका जमाबंदी सम्वत 2065-2068 में नाम अंकित है जो लाऔलाद फौत हो जाने से उक्त आराजी के वादीगण हरखीलाल व गोपाल ही संयुक्त रूप से खातेदार है व दोनो का हिस्सा बराबर-बराबर है। वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है।

प्रतिवादीगण जाति से ईसाई है जिनका वादपत्र में वर्णित आराजी से कोई लेना-देना नही है। वादीगण की उक्त आराजी के उतर मे खसरा सं. 282 है जिसका भी प्रतिवादीगण को कोई लेना देना नही है। वाद वर्णित आराजी के खसरा सं. 281 के पूर्व की ओर सरकारी आम रास्ता है व उसके बाद प्रतिवादीगण के खसरा सं. 288, 289 विस्थित है, वाद वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है।

प्रतिवादीगण की आराजी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग बन जाने से सरकारी स्कूल होने से अब उनके मन में बेईमानी आ गई है व धमकियां देते है कि हमारी जमीन स्कूल में चली जाने से अब हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेंगे। प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी हरखी लाल को दबाव में लाने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 ने झूठी दरख्वास्त भी उपखण्ड अधिकारी लाखेरी को पेश की थी। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी-गण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वाद विषयक आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा नही पहुंचाए ऐसा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न अपने एजेन्टो से करवाये। यदि उपरोक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी नही की गई तो प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल कर देंगे। जिससे वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर जवाबदावा पेश करने हेतु दिये गये। फिर भी जवाबदावा पेश नही होने पर जवाबदावा बन्द किया गया। नियत पेशी पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल,

क्रमशः...

में लायी गयी।

वादीगण द्वारा प्रभुलाल की मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी पेश की। वाद विषयक आराजी ग्राम बालापुरा सम्वत् 2065-2068 जो कि प्रदर्श-2 है खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, राजस्व नक्शा प्रदर्श 4, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आ० फौजदारी कार्यवाही में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत - मुचलके प्रदर्श 5, सम्बन्धित कार्यवाही में लिये गये पुलिस बयान लालाजी व रामनारायण प्रदर्श- 6 कराये गये। मौखिक साक्ष्य में PW1 हरजीलाल PW2 मदनलाल PW3 सुन्दरलाल के बयान करवाये गये। नियत पेशी पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा सं. 281 रकबा 2.31 है. ग्राम बालापुरा पटवार हल्का सरवावदा में स्थित है। जिस पर वादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण द्वारा बदनियतिपूर्वक वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकीयां दी गयी है। अतः चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का जवाबदावा काफी अवसर दिये जाने के बाद भी पेश नही किये जाने पर माननीय न्यायालय से जवाबदावा बंद किया जा चुका है। प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। हम खातेदार है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत DNJ (Raj.) 2000-01 (Suppl) Raj HC Page 245 पेश कर अभिनिर्धारित किया कि जब प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नही करे ओर वादी के वाद/मामला का प्रतिरोध नही करे तो डिक्री ही दी जावेगी। 1996 DNJ (Raj.) 397 पेश कर कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि - मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी वाद डिक्री हो सकता है। अतः अन्त में वादीगण के अधिवक्ता ने वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रदर्श सं. 2 जमाबंदी सम्वत 2065-68 के खाता सं. 109 में खसरा सं. 281 रकबा 2.31 है. वादीगण के खातेदारी

में दर्ज है। प्रस्तुत प्रदर्श-3 खसरा गिरदावरी में भी वादीगण का नाम दर्ज है। मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। PW1 हरजीलाल PW2 नंदनलाल व PW3 सुन्दरलाल ने बयान दिये है कि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्व-अधिकार नही है। प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकीयां देते है। हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिये वाद ला सकेगा।

उक्त विवेचन के आधार पर हम वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं. 281 रकबा रकबा 2.31 है. ग्राम बालापुरा पटवार हल्का खरवावदा तहसील इन्द्रगढ़ में वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये और न ही वादीगण को बेदखल करे। इसी आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

A ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, Rr 6,7)
(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाठा R.A.S.

1 हजारीलाल पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बालापुरा मृतक मंग्रे का मुकाम वादी बनाम 1 सोविल जोन पुत्र इमानुवल जोन जाति ईसाई निवासी कारम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 12/दावा/12 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री हेमन्त योगी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वाद वर्णित आराजी खसरा नं. 281 रकबा 2.31 हेक्टर ग्राम बालापुरा दरबार हल्का सरवाडा तहसील इन्द्रगढ़ में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कोई बाधा न हो स्वम उत्पन्न करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये और न ही वादीगण को बेदखल करे।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23-11-2017 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

1/1 राजेन्द्रसिंह उम्र 30 वर्ष] पुत्रगण स्व. हरजीलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम
1/2 विक्रमसिंह उम्र 28 वर्ष] बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़

1/3 सरोजबाई उम्र 20 वर्ष] पुत्रीगण स्व. हरजीलाल जाति राजपूत निवासी
1/4 रीनूबाई उम्र 22 वर्ष] ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़
1/5 गणेशबाई उम्र 18 वर्ष]
1/6 सिन्दूबाई उम्र 16 वर्ष]
नाबालिग जरिये संरक्षक माता गीताबाई

1/7 गीताबाई बेवा हजारीलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

-वादीगण

बनाम

2. जोन पुत्र विलियम जाति ईसाई निवासी बाग्ग लेवल लाखेरी
3. इमानुवल जोन पुत्र जोन जुरियन जोन जाति ईसाई निवासी बाग्ग लेवल लाखेरी
4. सन्धी] पिंसरान सोविल जोन जाति खान ईसाई निवासीगण बाग्ग लेवल लाखेरी
5. बन्दी] तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)